उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

2020 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 331

प्रदीप कुमार यादव .....संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

श्री डी.के. जोशी, संशोधनवादी के वकील।
श्रीमती शिवांगी गंगवार, उत्तराखंड राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।
श्री नीरज गर्ग, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील।

साथ

2020 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 143

शिवांगी यादव .....संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

श्री नीरज गर्ग, संशोधनवादी के वकील।
श्रीमती शिवांगी गंगवार, उत्तराखंड राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।
श्री डी.के. जोशी, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण 285 दिनों की देरी से दायर किया गया है। प्रतिवादियों को अवसर दिये जाने के बावजूद अब तक आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है. 285 दिनों की देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है। परिणामस्वरूप, विलंब माफ किया जाता है और विलंब माफी आवेदन की अनुमति दी जाती है।

2. पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि दोनों आपराधिक पुनरीक्षणों का निपटान प्रवेश स्तर पर किया जाएगा।

3. गुण-दोष के आधार पर पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

4. 2020 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 331, दिनांक 20.12.2020 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, इसलिए, रखरखाव की वृद्धि के लिए 2020 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 143 दायर किया गया है।

5. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि शिवांगी यादव के पहले पति (अनूप कुमार श्रीवास्तव) का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उनका निधन हो गया और वे अपने पीछे अपने बेटे कौस्तुभकांत को छोड़ गए। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रदीप कुमार यादव विधुर हैं तथा शिवांगी यादव विधवा हैं। उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करने का फैसला किया। पुनरीक्षणकर्ता प्रदीप कुमार यादव पर श्रीमती के पुत्र का दायित्व है। पहले पति से शिवांगी यादव अब एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर चुकी हैं लेकिन उन्होंने अपने बेटे कौशतुभकांत की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया।

6. संशोधनवादी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच कुछ वैवाहिक कलह उत्पन्न हो गई है और वे अलग-अलग रह रहे हैं। प्रतिवादी नंबर 2 ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया। विद्वान अतिरिक्त न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, देहरादून ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2019 द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन की अनुमति दी। एक पक्षीय तरीके से और पुनरीक्षणकर्ता को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादी क्रमांक 2 को भरण-पोषण के रूप में 20,000/- रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान करे।

7. पार्टियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि संशोधनवादी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना है। इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन। दिनांक 20.12.2019 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा एक पक्षीय निर्णय लिया गया है और साथ ही पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना है। दिनांक 20.12.2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते का प्रयास करने के लिए मामले को 3 विद्वान अतिरिक्त न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, देहरादून को वापस भेज दिया गया है। यदि पार्टियों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है तो निचली अदालत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ेगी। कानून के अनुसार.

8. तदनुसार, दोनों आपराधिक पुनरीक्षणों को इस निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि ट्रायल कोर्ट मामले को शीघ्रता से तय करने का प्रयास करेगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता प्रदीप कुमार यादव आज से एक माह के भीतर अपनी पत्नी को 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेंगे।

(लोकपाल सिंह, जे.) 14.01.2021